

A.D. - 22, बुन्दी (राज.)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

C.S. - 2012/145
19/1/2012

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

03.2.20

मैजिस्ट्रेट पत्रावली के अन्तर्गत जवाब देना हेतु
रुकावत न्याया न्यायिक में रुकावत
जिना जात है पत्रावली वाले जवाब
के C.S.L विधि सं. 05/1/20
में पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
संख्या 2, बुन्दी (राज.)

05/2/20

मैजिस्ट्रेट पत्रावली के अन्तर्गत जवाब देना हेतु
पेश हुआ जो कि क्रम 20 ल. 24 की
विधि में रुकावत अखिल वादी
पक्ष में बिलारी गरी। शेष पक्ष
ने इस अन्तर्गत एक सजीनात्मक
की (मन्त्रालय) जस्टिस की। इजाजत
में रुकावत देना जाता है पत्रावली
वाले न्यायाधीश सं. 05/2/20
में पेश हो जाती है C.S.L
विधि वाले की शर्त से
विधि तब तक है।

अपर जिला न्यायाधीश
संख्या 2, बुन्दी (राज.)